

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4262

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीकेवीवाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र

4262. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत गठित संकुलों की, रायगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य में जिला-वार संख्या कितनी है और इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल कितना है;

(ख) रायगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विशिष्ट आंकड़े सहित, राज्य में इस योजना के अंतर्गत जैविक कृषि पद्धतियों में प्रशिक्षित और प्रमाणित किसानों की, संख्या कितनी है;

(ग) इन किसानों को इनपुट, विपणन और प्रमाणन के संदर्भ में क्या सहायता प्रदान की गई है;

(घ) राज्य में और विशेषकर जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में जैविक कृषि को बढ़ावा देने में क्या चुनौतियाँ सामने आ रही हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र में इन चुनौतियों का समाधान करने और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): वर्ष 2015-16 से महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह स्कीम जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन तक संपूर्ण सहायता पर जोर देती है। स्कीमों का प्राथमिक फोकस आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना है। पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, जैविक खाद सहित ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए 3 वर्षों में 4,500 रुपये/हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा प्रमाणन और अवशिष्ट

विश्लेषण के लिए 3 वर्षों में 3,000 रुपये/हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए 3 वर्षों में 9,000/हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा।

वर्ष 2015-16 से (30.06.2025 तक) पीकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यवार गठित समूहों की संख्या और कवर किए गए क्षेत्र का विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है। महाराष्ट्र में पीकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित और प्रमाणित किसानों की कुल संख्या क्रमशः 87350 और 58505 है। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में पीकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित और प्रमाणित किसानों की कुल संख्या क्रमशः 3482 और 1935 है। जैविक खेती से संबंधित जिलेवार जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ड): सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित टिकाऊ कृषि प्रणाली है और किसानों की बाहरी आदानों पर निर्भरता को कम करती है। यह टिकाऊ एकीकृत जैविक कृषि प्रणालियों के माध्यम से किसानों की कृषि लागत को कम करती है। पीकेवीवाई के तहत महाराष्ट्र के किसानों को जैविक खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्रों को लाने, आदानों और प्रशिक्षण सहायता, जैविक प्रमाणीकरण और बाजार संपर्क विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

दिनांक 30.06.2025 तक वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई स्कीम (महाराष्ट्र सहित) के तहत गठित क्लस्टरों की संख्या और कवर किए गए क्षेत्र का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	राज्य का नाम	क्लस्टरों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	आंध्र प्रदेश	5415	3,60,805
2	बिहार	1576	31,783
3	छत्तीसगढ़	2825	1,01,279
4	गुजरात	759	15,334
5	गोवा	500	10,000
6	हरियाणा	-	-
7	झारखंड	1101	25,300
8	कर्नाटक	1045	20,900
9	केरल	706	94,480
10	मध्य प्रदेश	3868	74,960
11	महाराष्ट्र	2978	66,756
12	ओडिशा	1434	52,200
13	पंजाब	350	6,981
14	राजस्थान	7425	1,48,500
15	तमिलनाडु	1147	32,940
16	तेलंगाना	405	8,100
17	उत्तर प्रदेश	8539	1,71,185
18	पश्चिम बंगाल	870	21,400
19	असम	220	4,400
20	अरुणाचल प्रदेश	19	380
21	मिजोरम	39	780
22	मणिपुर	30	600
23	नागालैंड	24	480
24	सिक्किम	150	63,000
25	त्रिपुरा	50	1,000
26	मेघालय	45	900
27	हिमाचल प्रदेश	330	18,748
28	जम्मू एवं कश्मीर	258	5,160
29	उत्तराखंड	7037	1,40,740
30	अंडमान और निकोबार	-	14,491
31	दमन और दीव	55	642
32	दादर नगर	25	500
33	दिल्ली	-	-
34	पुदुचेरी	-	-
35	चंडीगढ़	-	-
36	लक्षद्वीप	-	2,700
37	लद्दाख	250	10,480
	कुल	49,475	15,07,904